भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 1315

दिनांक 30**.07.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

मलिन बस्ती समूहों में खुले में शौच

1315. श्री संजय सिंहः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए) की घोषणा के परिणामस्वरूप शहरी और गरीब इलाकों, विशेषकर मलिन बस्ती समूहों में खुले में शौच के लिए जाने वाले लोगों की संख्या के संबंध में कोई परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हां, तो खुले में शौच के मामले में, राज्य–वार, कितने प्रतिशत की गिरावट आई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए एसबीए जैसी दूसरी महत्वपूर्ण योजना शुरू करने और लागू करने का विचार रखती है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) से (ख) स्वच्छ भारत मिशन (अभियान)-शहरी की शुरूआत से, कुल 4041 यूएलबी (2011 की जनगणना के अनुसार) में से 3119 शहरी स्थानीय निकायों ने 30.06.2018 तक स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया है। ओडीएफ के रूप में घोषित यूएलबी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या अनुलग्नक पर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुलग्नक

दिनांक 30.07.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1315 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार एसबीएम (यू) के अंतर्गत 4041 यूएलबी में से खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित यूएलबी की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ओडीएफ घोषित यूएलबी
अंडमान और निकोबार दीव समूह	1
आंध्र प्रदेश	110
अरुणाचल प्रदेश	12
असम	37
बिहार	46
चण्डीगढ़	1
छत्तीसगढ़	168
दादरा एवं नगर हवेली	1
दमन एवं दीव	2
गोवा	0
गुजरात	171
हरियाणा	81
हिमाचल प्रदेश	46
जम्मू एवं कश्मीर	27
झारखंड	41
कर्नाटक	135
केरल	92
मध्य प्रदेश	383
महाराष्ट्र	392
मणिपुर	27
मेघालय	2
मिजोरम	23
नागालैंड	5
दिल्ली	5
ओडिशा	3
पुडुचेरी	1
पंजाब	133
राजस्थान	192
सिक्किम	7
तमिलनाडु	666
तेलंगाना	70
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	64
उत्तराखंड	100
पश्चिम बंगाल	73
कुल	**3119**